

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26072021-228454 CG-DL-W-26072021-228454

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] No. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24—जुलाई 30, 2021 (श्रावण 2, 1943) NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24—JULY 30, 2021 (SRAVANA 2, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं

सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

> श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2021

सं. ए-12/11/20/आयुष-भ.वि./2018-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आयुर्वेदिक पद), भर्ती विनियम, 1979 जहां तक कि वे आयुर्वेदिक काय चिकित्सक के पद से संबंध रखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आयुर्वेदिक पद), भर्ती विनियम, 1979 जहां तक कि वे आयुर्वेदिक काय चिकित्सक के पद से संबंध रखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आयुर्वेदिक पद) भर्ती (संशोधित) विनियम, 2004 तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा पद), भर्ती विनियम 2008 जहां तक कि वे चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) पद से संबंध रखते हैं, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सा संवर्ग (आयुर्वेद) समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत :

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सा संवर्ग (आयुर्वेद) समूह 'क' पद, भर्ती विनियम, 2021 कहे जाएंगे।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :—
 - (क) भारत का नागरिक; अथवा

1—169 GI/2021

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/ रखती हो, जो इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. शारीरिक स्वस्थता.- (1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो, जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरुपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. जिन पदों के लिए सीधी भर्ती निर्धारित है, उनके संबंध में चयन बोर्ड का संघटन, चयन प्रक्रिया आदि:

(1) चयन बोर्ड :—

(i) चयन बोर्ड में शामिल होंगे:-

(क) सचिव या अपर सचिव, भारत सरकार के दर्ज़े का अंशकालिक अध्यक्ष, जो सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार अथवा महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किए जाएंगे।

(ख) जिस विषय या विशेषीकृत क्षेत्र के संबंध में भर्ती की जानी है, उससे जुड़े दो चिकित्सा विशेषज्ञ जो महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल में से, अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा चुने जाएंगे।

(ग) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली में विभागीय प्रतिनिधि होंगे और अन्य राज्यों के मामले में, संबंधित राज्यों के अपर आयुक्त या क्षेत्रीय निदेशक विभागीय प्रतिनिधि होंगे। यदि किन्हीं कारणों से ये अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो महानिदेशक किसी अन्य अधिकारी को विभागीय प्रतिनिधि के रूप में नामित कर सकते हैं।

(ii) अंशकालिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यत: चयन बोर्ड के गठन की तिथि से एक वर्ष की होगी। हालांकि, उनकी अवधि को अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

(iii) अंशकालिक अध्यक्ष और चिकित्सा विशेषज्ञ उन दरों पर यात्रा भत्तों, आसीन शुल्क आदि के हकदार होंगे, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा नियत किए जाएंगे।

(2) चयन की प्रक्रिया एवं रीति :—

(क) अनुसूची में शामिल पदों पर सीधी भर्ती, जहां भी लागू हो, सामान्यत: अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली लिखित परीक्षा के बाद पात्र और सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पर आधारित होगी।

यदि अलग भर्ती प्रक्रिया अपनाना आवश्यक हो जाता है, तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद महानिदेशक द्वारा उसे अपनाया जाएगा। तथापि, यदि विज्ञापन में एक बार भर्ती प्रक्रिया अधिसूचित हो जाती है, तो बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ख) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्णय अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या एवं निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(ग) आयु, अर्हता, अनुभव आदि निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति मात्र अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाने या विज्ञापित पद पर किसी भी दावे के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

(घ) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु आवेदनों के प्रक्रमण से संबंधित सभी कार्यों को महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(ङ) चयन बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहयोग महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

7. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

- शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- 9. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	· · ·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)	51*(2021) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन। आयुर्वेद संवर्ग अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) (आयुर्वेद), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) और चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) में पदों की कुल संख्या 51 है तथा इन पदों को पूर्वोक्त कुल सम्मिलित संस्वीकृत कार्मिक संख्या के भीतर प्रचालित किया जाना है।	समूह 'क' गैर अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (रुपये 56,100- 1,77,500) और केंद्रीय सरकार के समय-समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	लागू नहीं।	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

अनुसूची

 सीधी भर्ती होने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं। क्या सीधी भर्ती होने वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक उर्हताएं परोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होंगे। (7) (8) (9) (10) अनिवार्य अर्हता: (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या सांविधिक राज्य बोर्ड या परिषद् या मारतीय विकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनेयम, 1970 (1970 का 48) के अंवर्गत भारतीय विकित्सा केंद्रीय राषिपद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अंवर्गत भारतीय विकित्सा केंद्रीय राषिपद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अंवर्गत भारतीय विकित्सा के दाज्य रजिस्टर में नामांकन हो। (ii) भारतीय विकित्सा के दाज्य रजिस्टर में नामांकन हो। टिप्पणी 2 : अनुसुचित जाती और अनुसुचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में सवम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अर्थवित अत्भव स्वर्थ विंद मा किस्सी की रात्स रा राय राष्ठ के ठीक पह राय होती है कि इन समुदायों से अर्थवित अत्भव राख्य में इस नियुक्ति के ठीक पह राय होती है कि इन समुदायों से आरंधित अत्भव राख्य में इस तियुक्ति की क्रिसी भी वरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अर्थवित अत्भव राख्य में अप्यर्था उनके लिए आरक्षित रिक्तेगों को भरने के लिए पर्यात कि विवेकानुसार 				
 अनिवार्य अर्हता : लागू नहीं। दो वर्ष। दी वर्ष। सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी 1 पदधारियों द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति परिषद् या भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा संकाय से आयुर्वेद में डिग्री। (ii) भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर या भारतीय सिकित्सा के राज्य रजिस्टर या भारतीय सिका प्रित्म गी सिक्ता महित भ्याधित अनुसूचित जाति और अन्युत्यि जनजाति से संबंधित अन्युत्यि जनजाति से संबंधित अन्युत्ति अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित यद्त्ते हे कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति जे जिये सिहत प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की अवधि तामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं लेए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की अवधि तामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं लेगि। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ते के 56 वर्ष से अधिक तरीति येकी अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक 	· · ·	के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में भी	अवधि, यदि	पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने
 (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या सांविधिक राज्य बोर्ड या परिषद् या भाविधिक राज्य बोर्ड या परिषद् या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् या आयुर्वेद में डिग्री। (ii) भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर मं नामांकन हो। (ii) भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सारकारी या स्वायत्त या साविधिक संगठनों के अधिकारियों से (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएंगी : अध्य अर्था प्रियाने के से सुअहिंत अनुभूच संवर्धित जाति और अनुभूच प्राया हे। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुसूचित जनजाति से संबंधित जिप्यूचित जनजाति से संबंधित अत्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहल प्रतिनियुक्ति के ठीक पहल प्रतिनियुक्ति के तीया किंती उनकति ए प्रतिनियों के भाग्ले में अप माधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अल्पर्था प्रिया के मामले में उपलब्ध नहीं लिए पार्यात रखने रखने वाले अभ्यर्थी अर्वा अध्यर्थ संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले घारित पद में अध्यक्त नहीं लिए आरक्षित अनुभव संबंधी अर्हताएं साक्षम प्राधिकारी के यह ता यत्ते या कि की अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले घारित पद में अध्यक्त नहीं लिए आरक्षित यत्त्म संवर्ग-वाह्य पद में अधिक नहीं लिए आरक्षित यत्ति के अन्वभ्य नहीं ने तो अनुभव संबंधी अर्हताएं आरक्षक हिंता यात्ति ये के तीन वर्ष के लाह होने ह तो जनुक्त के ति वे के से अधिक नहीं लोग आखन है तो अनुभव संवंधी अर्हताएं साक्षम प्राधिकार के साह या जित्व के के लाए अधिकत मही साक्षि कारी के लिए अधिकत म आयु सीमा नियम्त के लाए अधिक नहीं लिए आरक्षक हेता यत्य स्था मात्य संख्य नि के तिय के के उक्त नहीं का के त्य के के त्य के के तर्य संवर्ग न के अर्धक नहीं लोग आपके हे तो अनुभव संवंधी कहिताएं साक्ष के के तर्य ति वर्य के के ल	(7)	(8)	(9)	(10)
	अनिवार्य अर्हता : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या सांविधिक राज्य बोर्ड या परिषद् या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा संकाय से आयुर्वेद में डिग्री। (ii) भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामांकन हो। टिप्पणी 1 : भिन्न प्रकार से सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हता शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं			सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी 1 पदधारियों द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययानार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्तियां केंद्र सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारियों से (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएंगी : (क) नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी; अथवा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता। टिप्पणी 2 केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित पद में अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा निगम द्वारा आवेदन की

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) में सम्मिलित होंगे :- 1. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष:	लागू नहीं।
	—————————————————————————————————————	

_

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)	51* (2021) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन। आयुर्वेद संवर्ग अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) (आयुर्वेद), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद), और चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) में पदों की कुल संख्या 51 है तथा इन पदों को पूर्वोक्त कुल सम्मिलित संस्वीकृत कार्मिक संख्या के भीतर प्रचालित किया जाना है।	समूह 'क', गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल- 11 (रु. 67,700- 2,08,700) और केंद्रीय सरकार के समय-समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार स्वीकार्य प्रैकिटसबंदी भत्ता।	चयन।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	रिक्तियों पर विचार किए बिना स्वस्थाने आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में (रु.56,100-1,77,500) में चार* वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1 : वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा। देप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा। के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अलग उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो। *टिप्पणी 3: चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में सम्मिलित होंगे:- (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) उप चिकित्सा आयुक्त (आयुष), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)	51*(2021) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन। आयुर्वेद संवर्ग अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)(आयुर्वेद), मुख्य चिकित्सा अधिकारी(आयुर्वेद), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी(आयुर्वेद) और चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) में पदों की कुल संख्या 51	समूह 'क', गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (रु. 78,800-2,09,200) और केंद्रीय सरकार के समय- समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	चयन।	लागू नहीं।

है तथा इन पदों को पूर्वोक्त कुल सम्मिलित		
संस्वीकृत कार्मिक संख्या के भीतर प्रचालित		
किया जाना है।		

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	रिक्तियों पर विचार किए बिना स्वस्थाने आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में (रु.67,700-2,08,700) में पाँच* वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1: मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा एसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अलग उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो। *टिप्पणी 3: चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में सम्मिलित होंगे:- (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) उप चिकित्सा आयुक्त (आयुष), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य।	लाग् नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) (आयुर्वेद)	51*(2021) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन। आयुर्वेद संवर्ग अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)(आयुर्वेद), मुख्य चिकित्सा अधिकारी(आयुर्वेद), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी(आयुर्वेद), और चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) में पदों की कुल संख्या 51 है तथा इन पदों को पूर्वोक्त कुल सम्मिलित संस्वीकृत कार्मिक संख्या के भीतर प्रचालित किया जाना है।	समूह 'क', गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 (रु. 1,23,100- 2,15,900) और केंद्रीय सरकार के समय-समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार स्वीकार्य प्रैकिटसबंदी भत्ता।	चयन।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	रिक्तियों पर विचार किए बिना स्वस्थाने आधार पर पदोन्नति द्वारा।

_

(11)	(12)	(13)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में (रु.78,800-2,09,200) में चार* वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1 : मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)(आयुर्वेद) के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वर्रिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बर्शते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कानिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वर्रिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बर्शते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। *टिप्पणी 3: चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में सम्मिलित होंगे:- (1) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य।	लागू नहीं।

मुखमीत सिंह भाटिया महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the 02nd July, 2021

No. A-12/11/20/Ayush-RR/2018-Med.-VI— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) and (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Ayurvedic Posts) Recruitment Regulations, 1979 in so far as they relate to the post of Ayurvedic Physician, the Employees' State Insurance Corporation (Ayurvedic posts) Recruitment Regulations, 2008 in so far as they relate to the post of Medical Officer (Ayurveda), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to Medical cadre (Ayurveda) Group 'A' posts in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Medical Cadre (Ayurveda) Group 'A' posts, Recruitment Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Nationality. A candidate for appointment must be: -
 - (a) a Citizen of India; or
 - (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these regulations.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness. (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free form any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

- 6. Composition of Selection Board, procedure of Selection, etc., in respect of posts for which direct recruitment is prescribed:
 - (1) Selection Board:

(i) The Selection Board shall consist of. -

- (a) A part-time Chairman of the status of Secretary or Additional Secretary to the Government of India, who may be appointed by the Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India or the Director General, Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.
- (b) Two Medical experts from the discipline or specialised filed pertaining to which recruitment is to be made, who may be chosen by the Chairman, Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- (c) The Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation will be the departmental representative in New Delhi and in case of other States, the Additional Commissioner or Regional Director of the respective States will be Departmental representative. In case, these officers are not available for some reason then Director General can nominate some other officer as the departmental representative.
- (ii) The term of office of the part-time Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board. His term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.
- (iii) The part-time Chairman and the Medical Experts shall be entitled to traveling allowances, sitting fees etc. at much rates as may be fixed by the Director General from time to time keeping in view the rates prescribed by the Central Government.
- (2) Procedure and manner of Selection. -

(a) Direct recruitment to the posts included in the schedule, wherever applicable, shall ordinarily be made at All India level on the basis of a written examination followed by an interview of eligible and successful candidates.

In case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment, the same may be adopted by the Director General after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation. However, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.

(b) The number of candidates to be invited for interview shall be decided by the Chairman, Selection Board, keeping in view the number of vacancies and the number of applicants who satisfy the prescribed requirement.

(c) Mere fulfillment of the prescribed requirement of age, qualification, experience etc. will not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.

(d) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board will be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

(e) The Selection Board will be provided necessary Secretarial assistant by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

7. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 8. Power to relax. Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 9. Savings. Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Medical Officer (Ayurveda).	51*(2021) *Subject to variation depending on workload. The total number of posts in the Ayurveda Cadre i.e. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) (Ayurveda), Chief Medical Officer (Ayurveda), Senior Medical Officer (Ayurveda) and Medical Officer (Ayurveda) are 51 and these posts are to be operated within the aforesaid total combined sanctioned strength.	Group 'A', Non- Ministerial,	Level-10 in the pay matrix (Rs.56,100- 1,77,500) plus non-practicing allowance admissible as per Central Government orders amended from time to time.	Not applicable.	Not exceeding thirty five years. (Relaxable upto five years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,

SCHEDULE

		Nagaland, Sikkim, Lahau district and	and Spiti
		Division of district of Pradesh, Unior of Ladakh, Ar Nicobar Isl Lakshadweep).	Chamba Himachal a Territories daman and ands or

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation –Chairman;	Not applicable.

2. Deputy Medical Commissioner (AYUSH), Employees'	
State Insurance Corporation	
–Member;	
3. Additional Commissioner (Medical Administration) or	
Director (Medical Administration), Employees' State	
Insurance Corporation	
–Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Medical Officer (Ayurveda).	51* (2021) *Subject to variation dependent on workload. The total number of posts in the Ayurveda Cadre i.e. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) (Ayurveda), Chief Medical Officer (Ayurveda), Senior Medical Officer (Ayurveda) and Medical Officer (Ayurveda) are 51 and these posts are to be operated within the aforesaid total combined sanctioned strength.	Group 'A' Non-Ministerial.	Level-11 in the Pay Matrix. (Rs. 67,700- 2,08,700/-) plus non-practicing allowance admissible as per Central Government orders amended from time to time.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion on selection basis without linkage to the vacancy.

(11)	(12)	(13)
Promotion from Medical Officer (Ayurveda) with four* years regular service in level-10 (Rs. 56,100- 1,77,500) in the Pay Matrix. Note 1: For promotion to the post of Senior Medical Officer (Ayurveda), the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. *Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.	Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation 2. Deputy Medical Commissioner (AYUSH), Employees' State Insurance Corporation. -Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Chief Medical Officer (Ayurveda).	51* (2021) *Subject to variation dependent on work load.	Group' A' Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix. (Rs. 78,800- 2,09,200) plus	Selection.	Not applicable.

The total number of posts in the Ayurveda Cadre i.e. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) (Ayurveda), Chief Medical Officer (Ayurveda), Senior Medical Officer (Ayurveda) and Medical Officer (Ayurveda) are 51 and these posts are to be operated within the aforesaid total combined sanctioned strength.	non-practicing allowance admissible as per Central Government orders amended from time to time.
--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion on selection basis without linkage to the vacancy.

(11)	(12)	(13)	
By promotion from Senior Medical Officer (Ayurveda) with five* years regular service in level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay matrix. Note 1: For promotion to the post of Chief Medical Officer (Ayurveda), the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. *Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Deputy Medical Commissioner (AYUSH), Employees' State Insurance Corporation – Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation – Member.	Not applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) (Ayurveda).			Level-13 in the pay matrix. (Rs. 1,23,100– 2,15,900) plus non- practicing	Selection.	Not applicable.

Ayurveda Cadre i.e.	allowance
Chief Medical	admissible as per
Officer (Non	Central
Functional Selection	Government
Grade) (Ayurveda),	orders amended
Chief Medical	from time to
Officer (Ayurveda),	time.
Senior Medical	
Officer (Ayurveda)	
and Medical Officer	
(Ayurveda) are 51	
and these posts are	
to be operated within	
the aforesaid total	
combined sanctioned	
strength.	

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion on selection basis without linkage to the vacancy.

(11)	(12)	(13)
By promotion from Chief Medical Officer (Ayurveda) with four* years regular Service in level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix. Note 1: For promotion to the post of Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade)(Ayurveda), the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. *Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director General, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation -Member.	Not applicable.

MUKHMEET SINGH BHATIA Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054